

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
सं० /XXVII(8)/वाणि० कर (वैट)/ 2007
दिनांक: देहरादून: 19 नवम्बर, 2007
अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:-

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904)(यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची- II (ख) तथा अनुसूची- III की निम्नलिखित वर्तमान प्रविष्टियों को हटाने का सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुसूची- II (ख)- क्रमांक 35 की प्रविष्टि, यथा, "भोजन पकाया हुआ"

अनुसूची- III - क्रमांक 7 की प्रविष्टि, यथा "पेट्रोल मिश्रित बायो फ्यूल या डीजल मिश्रित बायो फ्यूल, जिसमें बायो फ्यूल की मात्रा 5 प्रतिशत से कम न हो"

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० 709/XXVII(8)/वाणिज्य कर(वैट)/2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से, कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित, कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
C. J. Semwal
(सी०एस०सेमवाल)
अपर सचिव, वित्त,

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 709/XXVII(8)/Vanijya Kar/2007 dated 19 November, 2007 for general information.

UTTARAKHAND SHASAN
VITTA VIBHAG
NO. 709 /XXVII(8)/Vanijya kar/2007
DEHRADUN: DATED: 19 November, 2007
NOTIFICATION

Whereas the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (4) of section 4 of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act No.27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P Act No.1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand) the Governor is pleased to order that with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following present entries of Schedule -II (B) and Schedule -III of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 shall be deleted:-

Schedule -II (B)- Entry at Serial No. 35 i.e., "Cooked food".

Schedule -III - Entry at Serial No. 7 i.e., "Bio-fuels mixed with petrol or mixed with diesel, where contents of Bio-fuel is not less than 5%".


(ALOK KUMAR JAIN)
Principal Secretary Finance